न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 34 / 2018

श्री प्रभुदास चेला पुत्र जयरामदास जाति जाट, निवासी खेतड़ी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम प्रभुदास अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 116 / 2017 निर्णय दिनांक 09.05.2018

उपस्थितिः—

1 .श्री मनोज वर्मा , एडवोकेट ——— ——— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 18.7.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.05.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रभुदास मु0नं0 116 / 2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट अंकित किया है कि गै0मु0 सड़क में से 0.02 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा चबुतरा बनाया गया है जो अमजन की सुविधा के लिए बनाया गया है जिसका उपयोग भी आमजन द्वारा किया जाता है। अपीलांट के निजी उपयोग के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। चबुतरा सड़क की सीमा से हटकर बनाया गया है जिससे आवागमन पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता। इस तथ्य पर गौर न कर अदालत मातहत ने अपीलांट को अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता के कारण आधारहीन शिकायत की गई है। अदालत मातहत को कानूनन पी0डब्ल्यू0डी0 की जमीन के संबंध में सुनवाई व धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जावे।

अंपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर चबुतरा बनाया गया है जो अमजन की सुविधा के लिए बनाया गया है जिसका उपयोग भी आमजन द्वारा किया जाता है। अपीलांट के निजी उपयोग के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। चबुतरा सड़क की सीमा से हटकर बनाया गया है जिससे आवागमन पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता। इस तथ्य पर गौर न कर अदालत मातहत ने अपीलांट को अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता के कारण आधारहीन शिकायत की गई है। अदालत मातहत को कानूनन पी0डब्ल्यू0डी0 की जमीन के संबंध में सुनवाई व धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 2704 किस्म गैर मु0 सडक पर रकबा 0.02 हैक्टर में चबुतरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने राजकीय भूमि खसरा नंबर 2704 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म गैर मु0 सडक में से रकबा 0.02 हैक्टर में चबुतरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा वैद्य साबित होता हो। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 सडक

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अंतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 उनवानी सरकार बनाम प्रभूदास मु0नं0 116/2017 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू